

जिला खनन कार्यालय, कटिहार

पत्रांक 870 / एम0 दिनांक 03/11/23 ।

सेवा में,

मेसर्स बी0 एन0 इन्फ्राप्रोजेक्ट एल0एल0पी0 ।
निरन कुमार महाजन (अधिकृत प्रतिनिधि)
पता- एक्स पुलिस लाईन तेजपुर, सोनीतपुर,
जिला-तेजपुर, राज्य-असम ।

विषय:- खनन योजना (Mining Plan) अनुमोदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कटिहार जिलान्तर्गत, प्राणपुर थानान्तर्गत मौजा/ग्राम-लालगंज, खाता नं0-204, 202, 151, 51, 93, 41, 71, 92, 150, खेसरा नं0- 2607, 2608, 2611, 2545, 2546, 106, 107, 110, 63, 64, 66, 67, 96, 106, 107, 110, 63, 64, 66, 67, 96, 153, 154, 155, 452, 158, 159, 60, 115, 116, 136, रकबा 4.02 हेक्टेयर में लघु खनिज साधारण मिट्टी के खनन हेतु प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4156/एम0 पटना दिनांक-27.12.2016 के आलोक में निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन किया जा रहा है ।

1. खनन योजना का अनुमोदन 54,270 घन मी0 वर्ष 2022 के लिए ही साधारण मिट्टी के उत्पादन हेतु अनुमान्य किया गया है ।
2. साधारण मिट्टी खनन की गहराई सतह से 1.5 मी0 से अधिक नहीं होगा ।
3. खनन कार्य ग्राउन्ड वाटर लेबल से कम से कम 1.5 मी0 उपर तक ही सीमित रखा जाएगा ।
4. प्रस्तावित उत्खनन की गहराई के कम से कम आधे के बराबर चौड़ाई रखने वाले सटे मैदानों की सीमा से पटरी छोड़ दी जाएगी ।
5. पथ निर्माण, तटबंध निर्माण आदि के प्रयोजनार्थ साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन से संबंधित क्रियाकलाप में विस्फोटक का प्रयोग नहीं होगा ।
6. खनन/उत्खनन संबंधी क्रिया-कलाप कार्य क्षेत्र के सामान्य जल निकासी के प्रतिरूप (पैटर्न) को परिवर्तित नहीं करेगा ।
7. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा (पिट) को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोगी प्रयोजन (प्रयोजनों) के लिए पुनः स्थापित किया जाएगा ।
8. खोदे गए/उत्खनित गड्ढा के चारों ओर समुचित घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके ।
9. दुलाई के दौरान खोदी गई/उत्खनित मिट्टी के फैलने से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे ।
10. मिट्टी के खनन/उत्खनन के कारण सृजित जल निकायों में रोगवाहकों (वेक्टर) के प्रजनन के कारण स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध सुरक्षा मानक अपनाये जाएंगे ।

अनुमोदित
माह 11/23

11. कामगारों/मजदूरों को पेयजल और सफाई संबंधी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
12. किसी उत्खनन क्षेत्र की परिधि से किसी असैनिक संरचना की दूरी कम से कम 15 मीटर रखी जाएगी।
13. राष्ट्रीय पार्कों और वन्य प्राणी अभ्यारण्य की सीमा के 01 किलो मीटर के अन्दर उत्खनन के क्षेत्र के मामले में साधारण मिट्टी के खनन/उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. खनन योजना में खनन कार्य बेंच बनाकर किया जाएगा जिसकी अधिकतम उँचाई 1.5 मी० एवं चौड़ाई कम से कम 3.0 मी० होनी चाहिए।
15. खनन कार्य के दौरान निकाले गये टॉप सॉयल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जाएगा, जिसे खनन कार्य समाप्त होने के उपरान्त उसी क्षेत्र में फैला दिया जाएगा।
16. खनन योजना में वर्णित भूमि के स्वामिस्व तथा भूस्वामियों की सहमती से संबंधित अभिलेखों की पुष्टि करा लिया जाना उपेक्षित होगा।
17. भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी गलती खनन योजना अथवा कार्य में अनियमितता पाई जाएगी तो खनन योजना स्वतः निरस्त माना जाएगा।

03/2024

nit
few

de
07/11/23
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय,
कटिहार।

ज्ञापांक— *870* /एम०, दिनांक— *07/11/23*

प्रतिलिपि:— R.Q.P. प्रवीण कुमार सिन्हा, मंगल मार्केट राजा बाजार को सूचनार्थ प्रेषित।

de
07/11/23
खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय,
कटिहार।

खनन	खनिज	अनुज्ञा	माह का	क्रमांक	01
-----	------	---------	--------	---------	----